(52)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी(राजस्व), संगरिया

पीठासीन अधिकारी :- राकेश कुमार मीना(आर.ए.एस.)

प्रकरण सं. 18/2024

प्रार्थना पत्र अ. धारा 251(क) राज. काश्तकारी अधिनियम

दर्शन सिंह पुत्र श्री बन्त सिंह उर्फ बन्ता सिंह जाति जटसिख निवासी हरिपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.) **– प्रार्थी**

विरुद्ध

1. सोहन सिंह पुत्र श्री बन्ता सिंह जाति कुम्हार निवासी हरिपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
2. तहसीलदार(राजस्व) संगरिया। **– अप्रार्थीगण**

उपस्थिति :-

प्रार्थी की ओर से :- श्री महावीर बेरड, एडवोकेट

अप्रार्थी की ओर से :- श्री कुलदीप मुण्ड, एडवोकेट

निर्णय दिनांक :- 10.7.2024

प्रार्थी दर्शन सिंह ने अप्रार्थीगण सोहन सिंह वगैरा के विरुद्ध यह प्रार्थना पत्र रास्ता स्वीकृत करवाये जाने हेतु इस न्यायालय में पेश किया कि यह कि प्रार्थी एवं अप्रार्थी सं. 1 आपस में एक ही चक के पड़ौसी काश्तकार है। प्रार्थी के नाम से तहसील संगरिया के चक 4 डी.एन.जी. के एकल खाता सं. 34/35 जमाबन्दी सम्वत् 2071-74 में 2.277 है. कृषि भूमि तथा अप्रार्थी सं. 1 के नाम से तहसील संगरिया के चक 4 डी.एन.जी. के एकल खाता सं. 100/5 जमाबन्दी सम्वत् 2071-74 में 1.771 है. कृषि भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है। उक्त खातों की जमाबन्दीयों की प्रमाणित प्रतियां सलंग्न प्रार्थना पत्र है। यह कि प्रार्थी को अपनी तहसील संगरिया के चक 4 डी.एन.जी. के एकल खाता सं. 34/35 जमाबन्दी सम्वत् 2071-74 में 2.277 है. कृषि भूमि में आवागमन के लिये एवं कृषि यंत्र लाने व ले-जाने हेतु कोई रास्ता स्वीकृत नही है तथा प्रार्थी को अपनी कृषि भूमि काश्त करने के लिये आने-जाने में बिना स्वीकृत रास्ता के भारी असुविधा होती है तथा प्रार्थी अपनी कृषि भूमि में स्वीकृतशुदा रास्ता नही होने से भयभीत हो रहा है। अब प्रार्थी अपने खेत में आने-जाने हेतु रास्ता को स्वीकृत करवाना चाहता है। प्रार्थी को अपनी कृषि भूमि में आने-जाने, कृषि कार्य करने एवं कृषि यंत्र लाने व ले-जाने हेतु अप्रार्थी सं. 1 की तहसील संगरिया के चक 4 डी.एन.जी. के एकल खाता सं. 100/5 जमाबन्दी सम्वत् 2071-74 में प.नं. 187/132 मु.नं. 23 के कि.नं. 1/2/0.025 है.(किला की उतरी दिशा में मुख्य रास्ता से पश्चिम से पूर्व की ओर 165 फुट लम्बा एवं 16½ फुट चौड़ा रास्ता), प.नं. 187/132 मु.नं. 23 के कि.नं. 1/2/0.019 है.(किला की पूर्वी दिशा में उत्तर से दक्षिण की ओर 165 फुट लम्बा एवं लगभग 12.37 फुट चौड़ा रास्ता), प. नं. 187/132 मु.नं. 23 के कि.नं. 10/0.019 है.(किला की पूर्वी दिशा में उत्तर से दक्षिण की ओर 165 फुट लम्बा एवं 12.37 फुट चौड़ा रास्ता) कृषि भूमि रास्ता को स्वीकृत करवा गैर मुमकिन रास्ता के रूप में दर्ज करवाना चाहता है जो कि वर्तमान में चालु है। इस कारण प्रार्थी उक्त रास्ता स्वीकृत करवाने का अधिकारी एवं दावेदार है। यह कि प्रार्थी व अप्रार्थी सं. [illegible] बार निवेदन किया कि अप्रार्थी सं. 1 अपनी तहसील संगरिया के च[illegible] जी. के एकल खाता सं. 100/5 जमाबन्दी स[illegible] 187/132 मु.नं. 23 के कि.नं. 1/2/0.025 है.(किला की उतरी [illegible] में मुख्य रास्ता से पश्चिम से पूर्व की ओर 165 फुट लम्बा [illegible] चौड़ा रास्ता), प.नं. 187/132 मु.नं. 23 के कि.नं. 1/2/0.019 है.(किला [illegible] पूर्वी दिशा में उत्तर से दक्षिण की ओर 165 फुट लम्बा एवं लगभग 12.[illegible] फुट चौड़ा रास्ता), प.नं. 187/132 मु.नं. 23 के कि.नं. 10/0.019 है.(किला की

लगातार --2

Signature Not Verified
Digitally signed by Rakesh K Meena
Date: 2024.08.06 13:28:23 IS
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
संगरिया

(23)

पूर्वी दिशा में उतर से दक्षिण की ओर 165 फुट लम्बा एवं 12.37 फुट चौड़ा रास्ता) कृषि भूमि रास्ता को राजस्व रिकार्ड में गै.मु. रास्ता के रूप में दर्ज करवा देवें तो पहले तो अप्रार्थी सं. 1 आजकल-आजकल कर टाल मटोल करता रहा लेकिन अंत में ऐसा करने से स्पष्ट इन्कार कर दिया। यही प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने का कारण है।

उक्त तथ्यों के आधार पर प्रार्थना पत्र पेश होने पर सीगेदार की रिपोर्ट के बाद प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रार्थी एवं अप्रार्थी सं. 1 के द्वारा अपने अधिवक्ता के माध्यम से राजीनामा पेश किया गया जो कि शामिल मिसल किया गया। प्रार्थना पत्र के समर्थन में प्रार्थी के द्वारा तहसील संगरिया के चक 4 डी.एन.जी. के एकल खाता सं. 34/35 जमाबन्दी सम्वत् 2071-74 एवं इसी चक 4 डी. एन.जी. के एकल खाता सं. 100/5 जमाबन्दी सम्वत् 2071-74 की जमाबन्दीया की प्रति पेश की गई।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। बहस में प्रार्थी के अभिभाषक ने कथन किया कि प्रार्थी एवं अप्रार्थी सं. 1 एक ही चक के काश्तकार है तथा आपस में कोई विरोध नही है। प्रार्थी एवं अप्रार्थी सं. 1 के द्वारा अपने अधिवक्ता के माध्यम से राजीनामा पेश किया गया। प्रार्थना पत्र में रास्ता स्वीकृति का अनुतोष चाहा गया है। बहस में वकील प्रार्थी एवं वकील अप्रार्थी सं. 1 ने राजीनामा अनुसार प्रार्थना पत्र बिना किसी प्रतिफल के निर्णित किये जाने पर सहमति दी। वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र निर्णित किये जाने का निवेदन किया। जिसका वकील अप्रार्थीगण ने कोई विरोध नही किया।

-:: क्रियात्मक आदेश ::-

अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी मुताबिक अनुतोष अनुसार निर्णित किया जाता है कि प्रार्थी को अपनी कृषि भूमि में आने-जाने, कृषि कार्य करने एवं कृषि यंत्र लाने व ले-जाने हेतु अप्रार्थी सं. 1 की तहसील संगरिया के चक 4 डी.एन.जी. के एकल खाता सं. 100/5 जमाबन्दी सम्वत् 2071-74 में प.नं. 187/132 मु. नं. 23 के कि.नं. 1/2/0.025 है.(किला की उतरी दिशा में मुख्य रास्ता से पश्चिम से पूर्व की ओर 165 फुट लम्बा एवं 16½ फुट चौड़ा रास्ता), प.नं. 187/132 मु.नं. 23 के कि.नं. 1/2/0.019 है.(किला की पूर्वी दिशा में उतर से दक्षिण की ओर 165 फुट लम्बा एवं लगभग 12.37 फुट चौड़ा रास्ता), प. नं. 187/132 मु.नं. 23 के कि.नं. 10/0.019 है.(किला की पूर्वी दिशा में उतर से दक्षिण की ओर 165 फुट लम्बा एवं 12.37 फुट चौड़ा रास्ता) कृषि भूमि रास्ता को राजस्व रिकार्ड में गैर मुमकिन रास्ता के रूप में अंकन किया जावे।

निर्णय आज दिनांक 10/7/2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राकेश कुमार)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व),
संगरिया

Signature Not Verified
Digitally signed by Rakesh Kumar Meena
Date: 2024.08.06 13:28:23 IST
Reason: SelfAttested